कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), गया
जिला– गया

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के मार्च 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1212/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14669/70

दिनांक– 22.5.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गया।

22/05/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र पंजी
01 JUN 2017
4944
संख्या...........
बिहार, पटना
31 MAY 2017

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1212/16–17

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, गया
2	लेखा की अवधि	स्थापना/मार्च 2010 से दिसम्बर 2016 तक
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	निरीक्षित कार्यालय की स्थापना/मार्च 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। उक्त अवधि में जिला कोषागार गया में की गई जमा सहित माह मार्च 2015 एवं मई 2015 का विस्तृत जाँच में आहरण की गई राशियों का सत्यापन किया गया ।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	20.01.2017 से 02.02.2017 तक
5	निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम	1. श्री रजनी कान्त तिवारी, कार्यपालक अभियंता
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री अमरनाथ कुमार, स0ले0प0अ0 2. श्री राजकिशोर कुमार, पर्यवेक्षक 3. श्री अरविन्द कुमार, ले0प0
7	पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री शशिधर कान्त, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	महालेखाकार(ले.प.), बिहार, पटना का प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन
09	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श हुआ	हाँ (दिनांक 02.02.2017 को),

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, गया द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

भाग– II

खण्ड– क– शून्य

खण्ड– ख

कंडिका 01.

क विलम्ब शुल्क की कम कटौती रू. 4.54 लाख

एकरारनामा **F** 2 के शर्त संख्या 2 के अनुसार तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक विलम्ब दिन के लिए प्राक्कलित राशि का 0.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 **प्रतिशत** राशि वसूली की जाएगी तथा शर्त संख्या 5 के अनुसार संवेदक वाजिब कारण के आधार पर समय वृद्धि हेतु अधियाचना 40 दिन के अन्दर कर सकता है।

योजनाओं की संचिका के नमूना जांच के कम में पाया गया कि योजनाओं में कार्य विलम्ब से पूर्ण किया गया। इसमे न ही संवेदक द्वारा शर्त संख्या 5 के अनुसार समय विस्तार की मांग की गई थी और न ही उपरोक्त शर्त संख्या 2 के आलोक में डुडा **गया** कार्यालय द्वारा क्षति पूर्ति राशि की वसूली की गई।

विवरण निम्नानुसार है

प्राक्कलित राशि– 6216300

Sl. No.	Name of agency	Agree ment No.	Due date of completion	Actual date of completion	Estimated cost	Compen sation	Compensation Deducted	Short deduction
1	M/S Arun Kumar	67/F2/ 13-14	29.10.2014	28.04.2015	5920295	592029	137513	454516

संवेदक से राशि रु० 454516 **कम कटौती के कारण** के संबंध में पृच्छा करने पर जवाब **में यह बताया गया कि संवेदक द्वारा समय वृद्धि हेतु समर्पित आवेदन पर विभाग द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् उचित कार्रवाई की जायेगी ।**

जवाब **मान्य नहीं है क्योंकि समय वृद्धि की** मांग नहीं की गई थी।

ख विलम्ब शुल्क की कम कटौती रू. 69.99 लाख

एकरारनामा **F** 2 के शर्त संख्या 2 के अनुसार तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से क्षति पूर्ति के रूप में प्रत्येक विलम्ब दिन के लिए प्राक्कलित राशि का 0.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 **प्रतिशत** राशि वसूली की जाएगी शर्त संख्या 5 के अनुसार संवेदक वाजिब कारण के आधार पर समय वृद्धि हेतु अधियाचना 40 दिन के अन्दर कर सकता है।

योजनाओं के **योजना पंजी** के नमूना जांच के कम में पाया गया कि **कुल** 67 योजनाओं में कार्य विलम्ब से पूर्ण किया गया। इनमें न ही संवेदक द्वारा शर्त संख्या 5 के अनुसार समय विस्तार की मांग की गई थी और न ही उपरोक्त शर्त संख्या 2 के आलोक में डुडा **गया** कार्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की गई। रू. 6999530 (विवरण परिशिष्ट– पर संलग्न) कम वसूली की गयी।

संवेदक से राशि 6999530 कम कटौती के संबंध में पूछे जाने पर जवाब में बताया गया कि संवेदक द्वारा समयवृद्धि हेतु समर्पित आवेदन पर विभाग द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात उचित कार्रवाई की जायेगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि समयवृद्धि की न तो मांग की गयी न ही समयवृद्धि की मान्यता दी गयी।

कंडिका 02.

क **लघु खनिज के परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान रू. 5.54 लाख**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। सत्यापन होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के परिवहन मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाए। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कार्रवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

योजनाओं से संबंधित संचिका के नमूना जाँच क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा लघु खनिज ढुलाई के संबंध में चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में शपथ पत्र जमा नहीं किया गया फिर भी अभिकरण द्वारा संवेदक को लघु खनिज परिवहन व्यय का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है –

Name of agency - M/S Arun Kumar

Agreement No- 67/F2/13-14

क्रम सं0	सामग्री	पृष्ठ संख्या मापी पुस्त	मात्रा (M^3 में)	कुल मात्रा(M^3 में)	दर	परिवहन राशि (रूपया में)
01.	सोन बालू	5	18.25			
		11	43.29			
		22	570.49			
		32	99.08			
		43	378.78			
		62	513.17			
		69	2.23			
कुल			1625.29	1625.29	274.61 / M3	446320
02.	स्टोन चिप्स	5	6.4			
		11	12.42			
		22	56.10			
		32	27.57			
		43	36.24			
		62	26.15			
		69	0.90			
कुल			165.78	165.78m3	654.86/m3	108562
कुल						554882

इस प्रकार सोन बालू एवं स्टोन चिप्स की बिना वास्तविक दूरी से उठाव की जांच किए परिवहन व्यय की राशि रू. 554882 का अनियमित भुगतान के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

ख लघु खनिज के परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान रु० 39.01 लाख

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। सत्यापन होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के **परिवहन** मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाए। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कार्रवाई किया जाए तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदे**श** दिया जाए कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

योजनाओं से संबंधित मापी पुस्तिका के नमूना जाँच क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा लघु खनिज ढुलाई के संबंध में चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में शपथ पत्र जमा नहीं किया गया फिर भी अभिकरण द्वारा संवेदक को लघु खनिज परिवहन व्यय का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है –

क्रम सं0	योजना का विवरण	Agreement No	सामग्री	पृष्ठ संख्या मापी पुस्त में संकलन के अनुसार	मात्रा	परिवहन राशि की दर	परिवहन राशि
01.	MB no.242 Gr.14	19/F2/ 13-14	सोन बालू	43	413.82	274.61/m^3	113639
			स्टोन चिप्स		245.51	654.86/m^3	160774
02	MB no.103 Gr.01	/F2/ 13-14	सोन बालू	36	164.19	274.61/m^3	45088
			स्टोन चिप्स		97.69	654.86/m^3	63973
03	MB no.202 Gr.05	/F2/ 13-14	सोन बालू	11	311.36	274.61/m^3	85502
			स्टोन चिप्स		184.87	654.86/m^3	121063
04	MB no.198 Gr.09	10/F2/ 15-16	सोन बालू	19	174.17	274.61/m^3	47828
			स्टोन चिप्स		60.63	654.86/m^3	39704
05	MB no.119 Gr.03	22/F2/ 12-13	सोन बालू	36	309.78	274.61/m^3	85068
			स्टोन चिप्स		126.75	654.86/m^3	83003
06	MB no.101 Gr.	111/F2/ 14-15	सोन बालू	44	2997.08	274.61/m^3	823028
			स्टोन चिप्स		199.13	654.86/m^3	130402
07	MB no.105 Gr.	06/F2/ 12-13	सोन बालू	72	147.87	274.61/m^3	40606
			स्टोन चिप्स		115.96	654.86/m^3	75937
08	MB no.130 Gr.	33/F2/ 12-13	सोन बालू	23	315.83	274.61/m^3	86730
			स्टोन चिप्स		626.88	654.86/m^3	410518
09	MB no.49 Gr.	04/F2/ 11-12	सोन बालू	47	3062.42	274.61/m^3	840971
			स्टोन चिप्स		520.51	654.86/m^3	340861
10	MB no.90 Gr.	66/F2/ 13-14	सोन बालू	55	422.78	274.61/m^3	116099
			स्टोन चिप्स		295.04	654.86/m^3	193209
कुल							3904003

इस प्रकार सोन बालू एवं स्टोन चिप्स की वास्तविक दूरी से उठाव की जांच किए बिना उसके परिवहन व्यय **की राशि रु० 3901532** का भुगतान अनियमित **रूप से किया गया इसके कारण** के संबंध में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है।

जवाब **में यह बताया गया कि संवेदक के विपत्र से Royalty Deduction करते हुए** विभाग **को जमा किया जा चुका है।**

जवाब **मान्य नहीं है क्योंकि** परिवहन व्यय **के सम्बन्ध में** जवाब **नहीं दिया गया।**

कंडिका 03 <u>परिमाण विपत्र (BOQ) की राशिकोषागार में जमा नहीं किया जाना रू0 78.05 लाख</u>

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 तथा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका सं0 71, 72 एवं 77 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, **गया** द्वारा विभिन्न योजनाओं कियान्वयन हेतु निविदा निकाली जाती **रही** है। कार्यालय द्वारा परिमाण विपत्र की बिकी पर निविदादाताओं से राशि प्राप्त की जाती है। जॉच कम मे यह देखा गया कि निविदादाताओं द्वारा राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा दिया जाता है, जिसे कार्यालय द्वारा S.B.B.J. Gaya **के खाता संख्या** 61216637779 में जमा किया जाता है। **BOQ से सम्बंधित रोकड़ बही के अवलोकन में यह पाया गया कि दिनांक 31.12.2016 तक व्याज सहित राशि** रु० 7805771 जमा है। परन्तु यह राशि कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा तिथि जनवरी 2017 तक सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा नहीं की गयी है। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग पॉच साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया **साथ ही साथ रोकड़ बही में दिनांक 25.12.16 को अवशेष राशि रु० 7805771.20 है जबकि सम्बंधित बैंक खाते में दिनांक 25.12.16 को रु० 7796606.20 अर्थात (7805771.20 - 7796606.20) रु० 9165/- रोकड़ शेष** में **कम प्रदर्शित करता है।**

राशि रु० 7805771.20 को कोषागार में जमा नहीं करने के कारण एवम रु० 9165/- रोकड़ शेष को कम प्रदर्शित होने के संबंध में पृच्छा करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः इस संबंध में विभाग से निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कंडिका 04 <u>बैंक खातों में प्राप्त ब्याज राशि को सरकार को वापस नहीं किया जाना</u> 227.65 <u>लाख</u>

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – को0प्र0/विविध–06/2015/4349; दिनांक – 12.05. 2015 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राशि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतशेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि को पी0एल0 खाते में जमा करायी जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज की राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुसंगत शीर्ष में जमा कराया जा सके।

पुनः सरकार के विभिन्न आवंटन आदेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है कि प्राप्त आवंटन पर बैंक में अर्जित ब्याज का उपयोग व व्यय उसी योजना पर किया जायेगा जिसके लिये राशि आवंटित की गयी है।

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया कार्यालय के रोकड़ बही एवं पासबुक के अवलोकन में पाया गया कि उपरोक्त नियमों व दिशा निर्देशों का पालन न कर विभिन्न योजना मद में प्राप्त अनुदान की राशियों पर बैंक में प्राप्त सूद की राशि संबंधित रोकड़ बही में प्रविष्टि कर निर्रथक रखी हुई थी। विविध/विभिन्न शीर्षों में जमा राशि पर दिनांक 31.12.2016 तक अर्जित सूद की कुल राशि ₹ 29788524.76 थी। **निदेशक, डूडा गया** को भेजे गए सूद की राशि की विवरणी के अनुसार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना मद में अर्जित सूद की राशि में से राशि ₹7023383.00 दिनांक 15.06.2015 को **जिला पदाधिकारी, गया को उपलब्ध कराया गया।** शेष राशि ₹22765141.76 जनवरी 2017 तक निरर्थक बैंक में पड़ी हुई है।

जवाब **में यह बताया गया कि** Interest Amount **समय -समय पर जिला पदाधिकारी को** वापस **की जाती है क्योंकि इस कार्यालय को** आवंटन जिला पदाधिकारी द्वारा ही प्राप्त होती है ।

जवाब **मान्य नहीं है क्योंकि राशि के कोषागार में जमा होने का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।**

कंडिका 05 यंत्र सयंत्र के अमान्य कय रसीद के आधार पर कार्य का आवंटन

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत NIT संख्या–03/2015–16 "Construction of bank of river Falgu in lakhday in Gaya Town" के ग्रुप संख्या 20 में कार्य के मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची के अनुसार संवेदक श्री कुंदन कुमार सिंह एवं श्री दिलीप कुमार की निविदा यंत्र/सयंत्र का बिल गलत होने के कारण रद्द कर दी गयी, जिसकी विवरणी निम्न है–

Sri Kundan Kumar Singh
1 Singh Engineering Works - Purchase bill for Disel Pump Set and Water tanker (प्रथम दृष्टया फर्जी)
- Found Unaddressed
2. S.N. Enterprises - Mixture Machine - Registered letter returned
3. S. K. Earmovpra – Modune machine & Petrol Vibrater - Registered letter returned
Sri Dilip kumar
1. Singh Engineering Works- water tanker- on the ground of above (Sri Kundan Kumar Singh)
2. S. K. Earmovpra- machine & Petrol Vibrater- on the ground of above (Sri Kundan Kumar Singh)

परन्तु उपर्युक्त फर्जी क्रय पत्रों के आधार पर संवेदक श्री कुन्दन कुमार सिंह एवं श्री दिलीप कुमार को निम्न कार्यों का आवंटन **पूर्व में किया गया -**

<u>श्री कुन्दन कुमार सिंह</u>

NIT – 01/2013–14 के ग्रुप संख्या– 40 निविदा राशि– ₹ 666037
नाम– मनोकामना महादेव मंदिर (मानपुर) से नयी दिल्ली पार्क होते हुए केसर हैंडलूम कपड़ा दुकान (मानपुर) तक पी.सी.सी. निर्माण
1 एकरारनामा सं.– 61F2/2013–14 राशि– ₹ 636581

नाम– जनकपुर पप्पु सिंह के घर से देवानंद मिस्त्री के घर तक पी.सी.सी. पथ एवं नाली निर्माण
एकरारनामा सं.– 45F2/2012–13 राशि– ₹ 1787536
नाम– मानपुर में फल्गु नदी में घाट का निर्माण

श्री दिलीप कुमार

एकरारनामा सं.– 63F2/2013–14 राशि– ₹ 1786360
नाम– कथेरवा रोड स्थित रमन्ना बुद्ध बिहार से रामपुर पथ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण
एकरारनामा सं.– 34F2/2013–14 राशि– ₹ 541625
नाम– पलकिया में ब्रजेश सिंह के घर से पलकिया गेट तक पी.सी.सी. सड़क नाली निर्माण
एकरारनामा सं.– 62F2/2013–14 राशि– ₹ 885685
नाम– गया बाजार समिति रोड में अरूण सिंह के घर से हीरा यादव के घर तक पेमर ब्लाक पथ एवं नाली निर्माण
योजना पंजी में मापी पुस्त के विवरण के आधार पर उपरोक्त सभी कार्यों को पूर्ण कर दिया गया है।
2 बिना यंत्र संयंत्र के उपरोक्त सभी 6 कार्यों को कार्य कर दिया गया है। संपादन का कुल मूल्य ₹5730899 (666037+ 636581+ 1787534+ 1786360+ 541625+ 885685) था।
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए आपति के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जॉचोपरान्त उक्त संवेदक को कार्य आवंटित नहीं किया गया है।
जवाब से यह स्वतः स्पष्ट है कि पूर्व में बिना जॉच किए कार्य आवंटित किया गया। अतः किये गए कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कंडिका–06 अनियमित कार्य/व्यय रू. 3.10 लाख

NIT No.	–	07/2012-13
योजना का नाम	–	नई बाजार में पक्की सड़क से मदन बाबु के घर तक PCC सड़क निर्माण।
प्राक्कलित राशि	–	₹442027
एकरारनामा की राशि	–	₹439817
कार्य प्रारंभ की तिथि	–	04.06.2013
कार्य पूर्णता की तिथि	–	दो मांह (i.e. 03.08.2016)
संवेदक का नाम	–	विक्रमादित्य सिंह

उपर्युक्त योजना की संचिका एवं मापीपुस्त के अवलोकन में पाया गया कि संवेदक द्वारा निम्न प्रकार से कार्य कराया गया

क्र. सं.	प्राक्कलन के अनुसार कार्य	मात्रा	मापीपुस्त में दर्ज कार्य की मात्रा	अन्तर	अभियुक्ति
1.	ROAD Supply R fitting in plinth with sand	30.19M^3	22.93M^3	7.26M^3	10% से कम कार्य
2.	Providing 100A brick hat soading	198.06M^2	150.60M^2	47.46M^2	10% से कम कार्य
3.	PCC work	30.19M^3	21.63M^3	8.56M^3	10% से कम कार्य
4.	Cross drain work	4 Nos	----	----	कार्य नहीं कराया गया
5.	Priding Ex pension grant ceiling comprand	32.50M	----	----	कार्य नहीं कराया गया
1.	COVER Providing 100A brick work	9.44M^3	11.21 M^3	1.77M^3	
2.	12MM CP in cement mortor	130.06M^3	93.63M^3	36.43M^3	10% से कम कार्य
3.	Providing RCC (1: ½ : 3)	15.06M^3	11.98M^3	3.08M^3	10% से कम कार्य
4.	Providing shuffering & centring	74.32M^2	59.15 M^2	15.17M^2	10% से कम कार्य
5.	Providing renforcement	15.06M^3 1325 Kg	11.98M^3 1054 Kg	3.08M^3 271 Kg	10% से कम कार्य
6.	Disposal of exlavated material	10.62M3			कार्य नहीं कराया गया

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया गया है एवं लगभग संपूर्ण कार्य प्राक्कलन की मात्रा से 10% कम किया गया है।

जिला पदाधिकारी के पत्रांक 263 दिनांक 11.05.2015 के द्वारा उपर्युक्त योजना से अनियमितता एवं लापरवाही बरती जाने हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण पर की गयी कार्रवाई संचिका में संलग्न अथवा दर्ज नहीं है।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) संचिका एवं मापीपुस्त के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 01.08.2013 को प्रथम चालू लेखा कुल रू. 309528 का कार्य कराया गया जो 10% से कम कार्य कराया गया था। फिर भी संवेदक को भुगतान की गयी अर्थात कार्य की मापी की जांच किए बगैर संवेदक को भुगतान किया गया।

(ii) जिला पदाधिकारी द्वारा मांगी गयी स्पष्टीकरण पर क्या कार्रवाई की गयी, स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) प्राक्कलन में cross drain work disposal of excavated material expansion joint ceiling compound नहीं कराया जिसके कारण पानी कि निकासी नहीं होने से उद्देश्य पूर्ण नहीं हुई, फलस्वरूप कराया गया कार्य निष्फल है।

(v) कार्य का आवंटन एकल निविदा पर किया गया है, जिसकी स्वीकृति उच्चाधिकारी से प्राप्त नहीं की गई है।

जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी। कृपया जांच के फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–07 अनियमित रूप से संवेदक को लाभ पहुँचाना रू. 0.51 लाख

योजना का नाम	–	चन्दौती मोड़ मुख्य पथ से चन्दौती उच्च विद्यालय तक PCC पथ निर्माण कार्य।
एग्रिमेंट सं०	–	58F2/2012-13
संवेदक का नाम	–	मो० इलियास
कार्य प्रारंभ की तिथि	–	03.06.2013
कार्य समाप्ति की तिथि	–	02.09.2013
एकरारित राशि	–	509722

उपर्युक्त संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कार्य समाप्ति की तिथि 02.09.2013 है एवं मापीपुस्त में अंतिम मापी की तिथि 05.09.2013 दर्ज है। संवेदक को कार्य समाप्ति के पश्चात earnest money एवं security deposit लौटाई जा चुकी है। अवलोकन में यह भी पाया गया कि कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के पत्रांक 458 दिनांक 06.11.2013 को उपर्युक्त कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण संवेदक से स्पष्टीकरण की गयी थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि आप के द्वारा इस योजना में 80% तक कार्य भी नहीं कराया गया है।

लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया कि 06.11.2013 को स्पष्टीकरण देने का तात्पर्य कार्य अपूर्ण था। जब 06.11.2013 तक कार्य अपूर्ण था तो मापीपुस्त में 05.09.2013 को मापी की तिथि किस प्रकार से क्यों दर्ज किया गया अर्थात संवेदक को विलम्ब शुल्क काटने से बचाते हुए लाभ पहुचाया गया एवं मापीपुस्त में तिथि 05.09.2013 है जबकि refund of earnest money & security deposit में मापी की तिथि 02.09.2013 दर्ज कर राशि की वापसी की गयी। अतः स्पष्ट है कि संवेदक को लाभ पहुचाने हेतु अनियमितता बरती गयी है। नियमानुसार विलम्ब शुल्क की कटौती (अधिकतम 10%) अर्थात 509722 का 10% रू. 50972 जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली की जाय। अनियमित रूप से संवेदक को लाभ पहुँचाने का कारण के संबंध में पृच्छा करने पर कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त उचित कार्रवाई कर निर्णय लिया जायेगा। कृप्या जांच के फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका–08 एकल निविदा

NIT No.	–	07/2012-13
योजना का नाम	–	वार्ड नं० 17 में अशोक यादव के घर से मंदिर तक PCC
प्राक्कलित राशि	–	₹553954
संवेदक का नाम	–	श्री विक्रमादित्य सिंह
कार्य प्रारंभ करने की तिथि	–	04.06.2013
कार्य पूर्ण करने की तिथि	–	03.09.2013

उपर्युक्त संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कार्य एकल निविदा द्वारा संपादित किया गया है। एकल निविदा की परिस्थिति में पुनः दुबारा निविदा आमंत्रण करना चाहिए। एकल निविदा प्राप्त होने

पर उच्चाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए जो नहीं किया गया है। संचिका में संलग्न तुलनात्मक विवरणी से उपर्युक्त कार्य हेतु एकल निविदा पर ही कार्य आवंटित किया गया है एवं उच्चाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस परिस्थिति में एकल निविदा कार्य आवंटित किया गया। संचिका में मापीपुस्त प्राक्कलन संलग्न नहीं था, जिसकी मांग की गयी परन्तु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त कार्रवाई किया जायेगा। अतः इस संबंध में उचित कार्रवाई कर लेखापरीक्षा कर सूचित किया जाये।

कंडिका–09 <u>अग्रिम राशि रू. 200000.00</u>

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के मार्च 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखापरीक्षा में रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि अजय कुमार चौधरी (A.E.) के द्वारा दिनांक 28.11.16 को रू. 200000.00 वेतन मद से अग्रिम राशि लिया गया है।

वेतन मद से अग्रिम दिये जाने का कारण एवं अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर जवाब में बताया गया कि बकाया वेतन के विरूद्ध अग्रिम दिया गया है। वेतन मद से समयोजित का लिया जाएगा।

कंडिका–10 <u>लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र रू. 2232 लाख</u>

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 9406 दिनांक 17.12.16 के अनुसार निम्नलिखित मद में लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है–

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रेषित	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रेषित VC की राशि	मद
2008-09	3000000	-	3000000	Civic Amenities
2011-12	263000		263000	राज्य यो०
2011-12	83437000		83437000	राज्य यो०
2012-13	30398300	14310300	16088000	MMNVY
2014-15	99818226	49421000	50397226	MMNVY
2015-16	102245379	32198472	70046907	MMNVY
			223232133	

उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रेषित नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने की कार्रवाई की जा रही है। उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

लेखा परीक्षा टिप्पणी (TAN)

टिप्पणी– 1 रोकड़ पंजी का संधारण नहीं

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के नमूना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ पंजी (दिनांक 20.03.2010 से 19.01.2015 तक) का अंतशेष निम्नवत था–

(i)	BOQ की राशि	–	7330522
(ii)	विधायक मद की राशि	–	29413
(iii)	MMNVY	–	114009925
(iv)	DUDA, जिर्णोद्वार	–	47948
(v)	कार्यालय व्यय	–	2610
		कुल	121420418

दिनांक 19.01.2015 के पश्चात् उपर्युक्त मदों से (i) BOQ एवं (iii) MMNVY की रोकड़ पंजी का संधारण अलग पंजी में किया गया है जो अद्यतन है परन्तु उपर्युक्त तीन मदों हेतु

(ii) विधायक मद रू. 29,413

(iv) DUDA, जिर्णोद्वार 47,948

(v) कार्यालय व्यय 2610 रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया 20.03.2010 के पूर्व का रोकड़ पंजी भी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपति के जवाब में बताया गया कि जांचोपरान्त उचित कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी– 2 कोषागार प्रेषण पंजी का संधारण नहीं किया गया

जिला शहरी विकास अभिकरण गया के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यालय को प्राप्त वैट/रायल्टी/लेबर शेष/इत्यादि की राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किये जाने हेतु काटी गयी राशि हेतु रोकड़पंजी का संधारण किया जाना चाहिए एवं सरकार को प्रेषित/जमा की गयी राशि को कोषागार प्रेषण पंजी में दर्ज कर सरकार को प्रेषित की जानी चाहिए, जो नहीं की गयी है।

प्रेषण पंजी संधारण नहीं किए जाने से वितीय वर्ष में कितनी राशि किस मद में प्रेषित की गयी स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि योजना से कटौती कर सीधे राशि चेक द्वारा संबंधित विभाग को जमा किया गया है। कोषागार प्रेषण पंजी का संधारण नहीं किए जाने को स्पष्ट नहीं किया गया। अतः कोषागार प्रेषण पंजी संधारित किया जाए।

टिप्पणी– 3 सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण नहीं

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के मार्च 10 से दिसम्बर 2016 तक की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि डूडा कार्यालय द्वारा सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया है। संधारित रोकड़ पंजी की सूची भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

जबकि एक से अधिक सहायक रोकड़ पंजी के संधारण किये जाने पर सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण किया जाना आवश्यक होता है।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में संधारण किया जायेगा।

टिप्पणी– 4 योजनाओं का स्थिति

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक में विभिन्न योजनाओं/मदों में कार्य कि भौतिक स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्रम सं०	मदवार	वर्ष	कुल	पूर्ण	अपूर्ण	रद्द
01	राज्य योजना	2012–13	01	01	–	–
02	SPUR (गया)	2012–13	04	03	01	–
	SPUR (बोध गया)	2012–13	04	04	–	–
		2013–14	–	–	–	–
		2014–15	–	–	–	–
	SPUR (गया)	2015–16	02	02	–	–
03	नागरिक सुविधा	2011–12 2015–16	15	13	01	01
04	MMNVY	2013–14	80	77	03	–
		2014–15	94	81	10	03
		2015–16	169	123	30	16
			369	**304**	**45**	**20**

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. सभी मदों/योजनाओं का 2012–13 से पूर्व का प्रगति प्रतिवेदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. विभिन्न मदों/योजनाओं में 369 योजनाऍ ली गई जिसमें 45 योजनाऍ अपूर्ण एवं 20 योजनाऍ रद्द है।

अपूर्ण योजनाओं का पूर्ण नहीं होने का कारण लेखापरीक्षा दल का स्पष्ट नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपति का जवाब भी नहीं दिया गया।

टिप्पणी– 5 बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं

जिला शहरी विकास अभिकरण, गया के द्वारा प्रस्तुत रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अवलोकन में पाया गया कि रोकड़ पंजी एवं बैंक पास बुक में अंतर पाया गया, जो इस प्रकार है:–

क्र०सं०	मद का नाम	31.12.2016 को रोकड़ वही का अंतशेष	31.12.16 को बैंक का अंतशेष	अंतर राशि
01	M.M.N.V.Y.	31277158.00	31459775.00	182617.00
02	M.M.N.V.Y.	26016536.57	29430939.57	3414403.00
03	राज्य योजना	8977914.00	8977914.00	शून्य
04	नागरिक सुविधा	43689217.00	43751995.00	62778.00
05	B.O.Q./पर्यटन	7805771.00	7796606.00	9165.00
06	वेतन मद	540442.00	540442.00	शून्य
07	विभागीय मद	400692.00	469849.00	69157.00

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. M.M.N.V.Y., नागरिक सुविधा, विभागीय मद का रोकड़ पंजी से बैंक पासबुक अधिक है जिसका बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंतर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

2. B.O.Q./पर्यटन में रोकड़ पंजी में बैंक पासबुक से अधिक राशि रू. 9165.00 है इसका कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

3. रोकड़ पंजी में प्रदर्शित अवशेष राशि दिनांक 31.12.16 को रू. 2700355.95 D.F.I.D. मद में एवं रू. 1454011 (मद उल्लेखित नहीं) का बैंक पासबुक प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपति का जवाब नहीं दिया गया। प्रस्तुत रोकड़ पंजी एवं बैंक पंजी के अवशेष राशि की विवरणी में D.F.I.D. मद 2700355.95 एवं 1454011 (मद उल्लेखित नहीं) जो रोकड़ पंजी के दिनांक 26.12.16 (हस्ताक्षरित 31.12.16) को पद अवशेष के रूप में है, जिसका बैंक में जमा नहीं दिखाया गया।

टिप्पणी– 6 <u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची</u>

जिला शहरी विकास अभिकरण गया के द्वारा मार्च 10 से दिसम्बर 2016 तक के लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित अभिलेखों प्रस्तुत नहीं किया गया–

1. रोकड़ वही की सूची/बैंक खाता की सूची
2. कोषागार जमा पंजी
3. उच्चाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की संचिका
4. नाजीर रसिद/ भंडार पंजी
5. आवंटन पंजी
6. सामग्री का भंडार पंजी
7. गाड़ी का लॉगबुक
8. संपदा पंजी
9. 20.03.2010 के पूर्व का रोकड़ पंजी

उपर्युक्त अप्रस्तुत अभिलेख का लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि लॉगबुक प्रस्तुत कर दिया गया है एवं शेष का संधारण इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

–हस्ता0–
(शशिधर कांत)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

Annexure I vide Para 1 (IV) of the Report SKD Memo no-13

Sl no.	Scheme no/year	Agreement No.	Estimated cost	Estimated cost less 5 %	Agreement cost	Total Amount Affter Less 5%	Amount of compensation	Amount deducted Time Extstion	Amount short deducted
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	02/2010-11	2F2/2010-11	4,020,400.00	201,020.00		3,819,380.00	381,938.00	10,470.00	371,468.00
2	04/2010-11	04F2/2010-11	2,472,800.00	123,640.00		2,349,160.00	234,916.00	172,549.00	62,367.00
3	10/2010-11	10f2/2010-11	4,880,000.00	244,000.00		4,636,000.00	463,600.00	127,447.00	336,153.00
4	11/2010-11	11f2/2010-11	4,006,000.00	200,300.00	3,959,000.00	3,805,700.00	380,570.00	42,050.00	338,520.00
5	12/2010-11	12f2/2010-11	1,465,600.00	73,280.00		1,392,320.00	139,232.00	84,042.00	55,190.00
6	13/2010-11	13f2/2010-11	706,750.00	35,337.50	601,000.00	671,412.50	67,141.25	55,974.00	11,167.25
7	14/2010-11	14f2/2010-11	3,221,780.00	161,089.00		3,060,691.00	306,069.10	233,646.00	72,423.10
8	17/2010-11	17F2/2010-11	969,465.00	48,473.25		920,991.75	92,099.18	78,149.00	13,950.18
9	18/2010-11	18F2/2010-11	933,200.00	46,660.00		886,540.00	88,654.00	58,373.00	30,281.00
10	28/2010-11	28F2/2010-11	2,074,500.00	103,725.00		1,970,775.00	197,077.50	17,030.00	180,047.50
11	30 /2010-11	30 f2/2010-11	8,373,000.00	418,650.00		7,954,350.00	795,435.00	428,834.00	366,601.00
12	33/2010-11	33f2/2010-11	1,000,300.00	50,015.00		950,285.00	95,028.50	88,574.00	6,454.50
13	01/2011-12	01f2/2011-12	1,899,000.00	94,950.00		1,804,050.00	180,405.00	70,948.00	109,457.00
14	04/2011-12	04 f2/2011-12	10,325,000.00	516,250.00	9,426,451.00	9,808,750.00	980,875.00	428,866.00	552,009.00
15	16/2012-13	54F2/2012-13	1,021,235.00	51,061.75	887,365.00	970,173.25	97,017.33	36,512.00	60,505.33
16	22/2012-13	41F2/2012-13	273,295.00	13,664.75	228,839.00	259,630.25	25,963.03	12,349.00	13,614.03
17	24/2012-13	40F2/2012-13	538,949.00	26,947.45	512,494.00	512,001.55	51,200.16	39,737.00	11,463.16
18	28/2012-13	67F2/2012-13	1,026,087.00	51,304.35	803,437.00	974,782.65	97,478.27	61,676.00	35,802.27
19	29/2012-13	60F2/2012-13	736,662.00	36,833.10	548,737.00	699,828.90	69,982.89	50,698.00	19,284.89
20	32/2012-13	42F2/2012-13	348,297.00	17,414.85	300,130.00	330,882.15	33,088.22	25,626.00	7,462.22
21	02/2013-14	67F2/2013-14	6,216,300.00	310,815.00	5,032,205.00	5,905,485.00	590,548.50	137,513.00	453,035.50
22	11/2013-14	20F2/2013-14	738,850.00	36,942.50	642,211.00	701,907.50	70,190.75	33,988.00	36,202.75
23	12/2013-14	39F2/2013-14	1,387,400.00	69,370.00	1,149,115.00	1,318,030.00	131,803.00	103,420.00	28,383.00
24	16/2013-14	41f2/2013-14	2,078,700.00	103,935.00	1,632,430.00	1,974,765.00	197,476.50	45,684.00	151,792.50
25	22/2013-14	09F2/2013-14	3,018,700.00	150,935.00	2,660,916.00	2,867,765.00	286,776.50	100,388.00	186,388.50
26	26/2013-14	27f2/2013-14	2,417,500.00	120,875.00	2,231,304.00	2,296,625.00	229,662.50	173,116.00	56,546.50
27	30/2013-14	29F2/2013-14	1,784,400.00	89,220.00	1,423,070.00	1,695,180.00	169,518.00	60,120.00	109,398.00

28	34/2013-14	42F2/2013-14	1,390,500.00	69,525.00	1,124,295.00	1,320,975.00	132,097.50	62,771.00	69,326.50
29	42/2013-14	48F2/2013-14	551,600.00	27,580.00	483,414.00	524,020.00	52,402.00	47,740.00	4,662.00
30	48/2013-14	37F2/2013-14	366,700.00	18,335.00	290,190.00	348,365.00	34,836.50	12,524.00	22,312.50
31	45/2013-14	49F2/2013-14	269,000.00	13,450.00	212,415.00	255,550.00	25,555.00	19,117.00	6,438.00
32	47/2013-14	31F2/2013-14	672,500.00	33,625.00	591,448.00	638,875.00	63,887.50	21,311.00	42,576.50
33	50/2013-14	51F2/2013-14	2,517,300.00	125,865.00	2,032,690.00	2,391,435.00	239,143.50	182,942.00	56,201.50
34	52/2013-14	64F2/2013-14	2,842,500.00	142,125.00	2,470,200.00	2,700,375.00	270,037.50	60,694.00	209,343.50
35	54/2013-14	26F2/2013-14	1,744,000.00	87,200.00	1,399,695.00	1,656,800.00	165,680.00	121,534.00	44,146.00
36	09/2013-14	15F2/2013-14	2,930,000.00	146,500.00	2,175,997.00	2,783,500.00	278,350.00	138,089.00	140,261.00
37	17/2013-14	58F2/2013-14	2,059,500.00	102,975.00	1,663,826.00	1,956,525.00	195,652.50	92,729.00	102,923.50
38	01/2014-15	02F2/2014-15	321,150.00	16,057.50	275,267.00	305,092.50	30,509.25	10,973.00	19,536.25
39	02/2014-15	69F2/2014-15	749,900.00	37,495.00	642,795.00	712,405.00	71,240.50	28,504.00	42,736.50
40	04/2014-15	29F2/2014-15	1,131,500.00	56,575.00	969,772.00	1,074,925.00	107,492.50	54,091.00	53,401.50
41	06/2014-15	68F2/2014-15	465,000.00	23,250.00	398,665.00	441,750.00	44,175.00	13,723.00	30,452.00
42	26/2014-15	41F2/2014-15	591,800.00	29,590.00	426,602.00	562,210.00	56,221.00	12,679.00	43,542.00
43	32/2014-15	27F2/2014-15	1,515,200.00	75,760.00	1,298,972.00	1,439,440.00	143,944.00	119,500.00	24,444.00
44	38/2014-15	34F2/2014-15	1,061,700.00	53,085.00	904,980.00	1,008,615.00	100,861.50	33,571.00	67,290.50
45	40/2014-15	24F2/2014-15	1,697,800.00	84,890.00	1,450,251.00	1,612,910.00	161,291.00	45,633.00	115,658.00
46	41/2014-15	28F2/2014-15	2,261,700.00	113,085.00	1,933,625.00	2,148,615.00	214,861.50	122,525.00	92,336.50
47	44/2014-15	32F2/2014-15	1,089,600.00	54,480.00	928,771.00	1,035,120.00	103,512.00	29,109.00	74,403.00
48	45/2014-15	33F2/2014-15	1,154,700.00	57,735.00	984,565.00	1,096,965.00	109,696.50	26,675.00	83,021.50
49	49/2014-15	56F2/2014-15	676,500.00	33,825.00	574,681.00	642,675.00	64,267.50	51,721.00	12,546.50
50	52/2014-15	63F2/2014-15	946,800.00	47,340.00	806,371.00	899,460.00	89,946.00	28,019.00	61,927.00
51	55/2014-15	45F2/2014-15	1,781,200.00	89,060.00	1,521,578.00	1,692,140.00	169,214.00	95,963.00	73,251.00
52	56/2014-15	62F2/2014-15	973,400.00	48,670.00	829,214.00	924,730.00	92,473.00	31,013.00	61,460.00
53	58/2014-15	26F2/2014-15	2,293,300.00	114,665.00	2,008,637.00	2,178,635.00	217,863.50	60,689.00	157,174.50
54	60/2014-15	103F2/2014-15	1,813,100.00	90,655.00	1,554,065.00	1,722,445.00	172,244.50	95,401.00	76,843.50
55	66/2014-15	25F2/2014-15	2,343,600.00	117,180.00	2,003,731.00	2,226,420.00	222,642.00	86,294.00	136,348.00
56	69/2014-15	66F2 /2014-15	1,123,300.00	56,165.00	957,730.00	1,067,135.00	106,713.50	35,486.00	71,227.50
57	06/2014-15	82F2/2014-15	2,075,200.00	103,760.00	1,773,544.00	1,971,440.00	197,144.00	100,364.00	96,780.00

58	08/2014-15	84F2/2014-15	1,530,000.00	76,500.00	1,260,963.00	1,453,500.00	145,350.00	33,247.00	112,103.00
59	10/2014-15	79F2/2014-15	1,737,700.00	86,885.00	1,484,316.00	1,650,815.00	165,081.50	42,052.00	123,029.50
60	11/2014-15	81F2/2014-15	2,526,400.00	126,320.00	2,160,307.00	2,400,080.00	240,008.00	37,694.00	202,314.00
61	10/2014-15	91F2/2014-15	2,930,000.00	146,500.00	2,291,741.00	2,783,500.00	278,350.00	58,627.00	219,723.00
62	03/2014-15	109F2/2014-15	2,930,000.00	146,500.00	2,314,890.00	2,783,500.00	278,350.00	21,850.00	256,500.00
63	03/2015-16	02F2/2015-16	516,000.00	25,800.00	436,452.00	490,200.00	49,020.00	14,406.00	34,614.00
64	01/2015-16	01F2/2015-16	3,164,150.00	158,207.50	2,726,946.00	3,005,942.50	300,594.25	173,923.00	126,671.25
65	12/2015-16	19F2/2015-16	1,572,000.00	78,600.00	1,338,823.00	1,493,400.00	149,340.00	67,386.00	81,954.00
66		37f2/2015/-16	830,800.00	41,540.00	708,039.00	789,260.00	78,926.00	41,540.00	37,386.00
67	06/2015-16	42f2/2015-16	815,500.00	40,775.00	690,316.00	774,725.00	77,472.50	40,775.00	36,697.50
Total			127,896,770.00	6,394,838.50	82,139,483.00	121,501,931.50	12,150,193.15	5,150,663.00	6,999,530.15

124966770.00

Richa 31/01/17

Executive Engineer
District Urban Development Ag...
Gaya

31-01-17